विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 'वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया की वसूली' एवं 'सरकारी भूमि पर अतिक्रमण' विषयों पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 39 अनुच्छेद सम्मिलित हैं, जिनमें ₹ 586.49 करोड़ अन्तर्निहित हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

वर्ष 2011-12 में ₹ 57,010.76 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 66,913.01 करोड़ थी। कर राजस्व ₹ 30,502.65 करोड़ तथा कर-इतर राजस्व ₹ 12,133.59 करोड़ को समाविष्ट करते हुऐ सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि ₹ 42,636.24 करोड़ थी। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 24,276.77 करोड़ (संघ के विभाज्य करों में से राज्य का भाग: ₹ 17,102.85 करोड़ तथा सहायतार्थ अनुदान: ₹ 7,173.92 करोड़) थी।

(अनुच्छेद 1.1)

जून 2013 के अन्त तक 2,882 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सन्निहित राशि ₹ 7,731.42 करोड़ के 9,489 अनुच्छेद बकाया थे। उपरोक्त में से दिसम्बर 2012 तक जारी 80 निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना 30 जून 2013 तक प्राप्त नहीं हुई थी।

(अनुच्छेद 1.2.1)

वर्ष 2012-13 के दौरान की गई मापक जाँच में 37,959 प्रकरणों में ₹ 2,286.17 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण तथा राजस्व हानि का पता चला। सम्बन्धित विभागों ने 23,519 प्रकरणों में राशि ₹ 598.39 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से राशि ₹ 217.42 करोड़ के 11,973 प्रकरण वर्ष 2012-13 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये थे। विभागों ने वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा के इंगित करने पर 5,876 प्रकरणों में ₹ 73.07 करोड़ वसूल किये।

(अनुच्छेद 1.4.1)

II. बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

'वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया की वसूली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- अवधि 2007-08 से 2011-12 के दौरान करों की बकाया ₹ 2,996.96 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,838.04 करोड़ हो गई।

(अनुच्छेद 2.9.7.1)

- वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 या राजस्थान वैट नियम, 2006 में या विभाग द्वारा कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.9.9.3)

- सम्पत्तियों की नीलामी में असफलता के कारण चार प्रकरणों में ₹ 69.01 लाख की बकाया की वसूली नहीं की जा सकी।

(अनुच्छेद 2.9.10)

- अवधि 1977-78 से 2009-10 से सम्बन्धित एकपक्षीय कर निर्धारण के 259 प्रकरणों की मापक जांच में पाया कि ₹ 49.44 करोड़ की मांग तथा ब्याज ₹ 37.81 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.9.12)

- चैक पोस्टों पर कर संग्रहण कार्य के लिये नियुक्त आठ ठेकेदारों द्वारा ₹ 5.11 करोड़ की बकाया राशि को जमा नहीं कराया गया।

(अनुच्छेद 2.9.13)

- दो सक्रिय व्यवहारियों के विरूद्ध बकाया ₹ 82.42 लाख की वसूली नहीं की गई, यद्यपि, उनका कर निर्धारण लगातार किया जा रहा था।

(अनुच्छेद 2.9.14)

- बारह प्रकरणों में, जिनमें व्यवहारियों की अन्य राज्यों में सम्पत्ति होने पर भी राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र विलम्ब से जारी करने तथा अनुसरण की अपर्याप्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप ₹ 9.09 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी।

(अनुच्छेद 2.9.15)

- अड़तालीस प्रकरणों की संवीक्षा पर पाया गया कि व्यवहारियों द्वारा ₹ 13.00 करोड़ के आगत कर लाभ (आई.टी.सी.) का दावा किया गया किन्तु, निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी से सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में अनुमत्य नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.9.16)

- दो व्यवहारियों के वसूली अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा शासकीय समापक को ब्याज राशि का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.86 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.9.20)

केन्द्रीय बिक्री कर नियमों के उल्लंघन में केन्द्रीय बिक्री कर घोषणा प्रपत्रों को निर्धारण के बाद स्वीकार करने के परिणामस्वरूप नौ प्रकरणों में ₹ 28.65 लाख के ब्याज एवं कर ₹ 1.14 करोड़ की अनियमित रियायत/छूट दी गई।

(अनुच्छेद 2.14)

देय कर की गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ की अधिक सब्सिडी स्वीकृत की गई एवं ₹ 12.08 लाख ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.15.1 एवं 2.15.2)

कर आस्थगन की गलत स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 3.65 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.16.1)

III. मोटर वाहनों पर कर

अवधि अप्रेल 2009 से मार्च 2012 में 3,705 वाहनों से सम्बन्धित मोटर वाहन कर व विशेष पथ कर ₹ 10.12 करोड़ का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.9.1)

एकमुश्त कर ₹ 49.13 लाख का 117 वाहनों द्वारा या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया, परिणामस्वरूप राजस्व की कम/अवसूली रही।

(अनुच्छेद 3.9.2)

IV. भू-राजस्व

'राजकीय भूमि पर अतिक्रमण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित दृष्टिगत हुआ:

- राजकीय भूमि के उसी भूखण्ड पर 13 तहसीलों में 4,503 अतिक्रमियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ वर्ष दर वर्ष लगातार अतिक्रमण किया गया, अतिक्रमित सम्पूर्ण भूमि का क्षेत्रफल 5,726.77 हैक्टेयर था। इनमें से 1,014 अतिक्रमियों द्वारा एकल रूप में 5 बीघा या अधिक की ₹ 61.27 करोड़ मूल्य की 1,805.92 हैक्टेयर भूमि अतिक्रमित की हुई थी।

(अनुच्छेद 4.7.8.1)

- मांगरोल तहसील के 56 प्रकरणों में, वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि की शास्ति एवं फसलों की नीलामी राशि ₹ 7.09 लाख की वसूली बकाया थी।

(अनुच्छेद 4.7.9)

- कोटपुतली तहसील के 156 प्रकरणों में, 83.23 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर राशि ₹ 27.79 लाख मूल्य की जब्त फसल की नीलामी करने के प्रमाण नहीं पाये गये।

(अनुच्छेद 4.7.9)

- विभाग द्वारा 11,099.97 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर अवैध रूप से उगाई गई फसलों की नीलामी के द्वारा राशि ₹ 1.76 करोड़ मात्र वसूल किये गये। न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं प्रति हैक्टेयर उत्पादकता के आधार पर फसल से वसूल योग्य राशि ₹ 24.46 करोड़ आंकलित की गयी।

(अनुच्छेद 4.7.10)

- राजकीय भूमि पर बनाये गये कुओं के नियमितीकरण न करने के कारण राशि ₹ 1.68 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

(अनुच्छेद 4.7.11)

- गंगापुर सिटी तहसील में ₹ 2.12 करोड़ मूल्य की 77.27 हैक्टेयर निष्क्रान्त भूमि लगातार अतिक्रमण के अधीन थी।

(अनुच्छेद 4.7.13.2)

- गलत तथ्यों के आधार पर 128 अतिक्रमियों को ₹ 1.34 करोड़ मूल्य की 49.9 हैक्टेयर अतिक्रमित भूमि को ₹ 21.59 लाख के रियायती मूल्य पर आवंटित किया गया, जिससे राजकोष को हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.7.14)

- बाँसवाड़ा तहसील में गलत नियम लागू कर अतिक्रमियों को 8.63 हैक्टेयर राजकीय भूमि के रियायती दरों पर आवटंन करने पर राशि ₹ 34.93 लाख की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.7.14)

- तहसीलदारों द्वारा, अतिक्रमियों के विरूद्ध राशि ₹ 1.04 लाख की शास्ति का आरोपण किया गया। इन अतिक्रमियों ने ₹ 160.66 करोड़ मूल्य की बेशकीमती राजकीय भूमि पर आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु अतिक्रमण कर रखा था।

(अनुच्छेद 4.7.15.1)

- सोजतसिटी तहसील के 209 प्रकरणों में, 111 अतिक्रमियों द्वारा ₹ 3.82 करोड़ मूल्य की 286.57 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर वर्ष 1981-82 से मेंहन्दी (हिना) उगाने हेतु अतिक्रमण कर रखा था।

(अनुच्छेद 4.7.15.3)

- भीलवाडा तहसील में ₹ 5.96 करोड़ मूल्य की 0.7128 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर विभिन्न समुदायों द्वारा अतिक्रमण किया गया था लेकिन उन्हें बेदखल करने के लिये कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी।

(अनुच्छेद 4.7.16)

- चार तहसीलों में 101 प्रकरणों में राजकीय भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ अतिक्रमण के अधीन थी, तथा ₹ 1.03 करोड़ के स्थान पर ₹ 0.38 लाख शास्ति प्रभारित की गयी।

(अनुच्छेद 4.7.17)

- तीन तहसीलों के 29 प्रकरणों में, अतिक्रमियों द्वारा राजकीय भूमि का खनन प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर तहसीलदारों द्वारा किराया राशि ₹ 33.07 लाख के आधार पर वसूल योग्य ₹ 16.54 करोड़ के स्थान पर राशि ₹ 240 की शास्ति प्रभारित की गयी।

(अनुच्छेद 4.7.18)

- तीन तहसीलों के 49 प्रकरणों में, तहसीलदारों द्वारा राजकीय भूमि पर ईंट भट्टा उद्योग की स्थापना के लिये अतिक्रमियों से ₹ 68.38 लाख के स्थान पर ₹ 970 की शास्ति प्रभारित की गयी।

(अनुच्छेद 4.7.19)

बिना रूपान्तरण कराये खातेदारी भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप भू-रूपान्तरण के लिये देय प्रीमियम ₹ 8.11 करोड़ की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 4.10)

कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग पर एकत्रित नियमन शुल्क और इस पर ब्याज सहित राशि ₹ 1.23 करोड़ को राजकीय खाते में जमा नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 4.11)

V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

'भूमि कर का आरोपण एवं संग्रहण' पर अनुच्छेद से निम्नलिखित दृष्टिगत हुआ:

- अन्तरिम कर निर्धारण सूची तैयार करने के उद्देश्य से निर्धारण अधिकारियों द्वारा उनके अधिकाराधीन क्षेत्र में न तो सर्वे किया गया न ही भूमि कर अदायगी के लिये दायी व्यक्तियों की पहचान की गयी।

(अनुच्छेद 5.8.5)

- निर्धारितियों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों पर विचार किये बिना तथा उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अंतरिम कर निर्धारण सूचियों को अंतिम रूप दे दिया गया। अंतिम प्रमाणित कर निर्धारण सूचियों को प्रकाशित नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 5.8.6)

- भूमि कर के निर्धारण से बच निकलने के परिणामस्वरूप भूमि कर ₹ 7.29 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 5.8.7)

- त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण आदेशों को जारी करने के परिणाम्स्वरूप भूमि कर ₹ 4.87 करोड़ का अधिक निर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 5.8.8.3)

- निर्धारण अधिकारियों द्वारा भूमि कर विलम्ब से जमा कराने पर ₹ 16.77 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गयी।

(अनुच्छेद 5.8.10)

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 एवं 2010 की शर्तों के उल्लघंन पर मुद्रांक कर की अवसूली के परिणामस्वरूप ₹ 3.29 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.11)

पट्टा विलेखों के पंजीयन के समय सम्पत्तियों का त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन एवं अवमूल्यांकन हुआ जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 4.86 करोड़ की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 5.12)

दरों के त्रुटिपूर्ण ढंग से लगाने एवं दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन हुआ जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 4.91 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.14)

पट्टे का अधिन्यास के द्वारा हस्तान्तरण के दस्तावेजों पर मुद्रांक कर राशि ₹ 6.00 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 5.15)

पूर्व भूमि एवं इसके भू-उपयोग परिवर्तन के बाद के बाजार मूल्यों की अन्तर राशि पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹ 31.88 करोड़ पट्टा विलेख पर प्रभारित नहीं किये गये।

(अनुच्छेद 5.16)

VI. राज्य आबकारी शुल्क

'आबकारी निरोधक दल' की कार्यप्रणाली पर आक्षेप में निम्न तथ्य प्रकट हुए:

- मूवमेन्ट पंजिका व लॉग-बुक में गश्त की अशुद्ध प्रविष्टियाँ की गई थी। अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता एवं वास्तविकता की जाँच हेतु कोई नियन्त्रण क्रियाविधि नहीं थी।

(अनुच्छेद 6.8.4.1)

- आबकारी निरोधक दल के स्टॉफ द्वारा गश्त और छापों में कोई अन्तर नहीं समझ कर मूवमेन्ट रजिस्टरों में सभी प्रविष्टियाँ छापों के रूप में अंकित की गयी तथा इसी रूप में उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदित की गयी। आगे, विभाग द्वारा उत्पादन, संग्रहण और अवैध मदिरा के संवेदनशील स्थानों की सूची का सामयिक निरीक्षण भी यह देखने के लिए नहीं किया गया कि वे अभी तक राज्य में संवेदनशील स्थान हैं।

(अनुच्छेद 6.8.4.3)

- चयनित 48 आबकारी निरोधक दल स्टेशनों (कुल 52 स्टेशनों में से) के गश्त अधिकारियों द्वारा उनके लिये निर्धारित 120 मामले पकड़ने तथा दर्ज करने के प्रतिवर्ष के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। आबकारी निरोधक दल स्टेशनों का प्रदर्शन विशेष प्रतिवेदन प्रकरणों के सम्बन्ध में निराशाजनक रहा।

(अनुच्छेद 6.8.4.4)

- आबकारी निरोधक दल के कार्मिकों द्वारा अपराधियों से इस बात की जाँच, कि उन्हें मदिरा की आपूर्ति किस स्रोत से की गई थी, नहीं की गई और अनुसंधान प्रतिवेदन केवल इस निष्कर्ष के साथ समाप्त कर दिया गया कि दोषी व्यक्ति के पास अवैध मदिरा/हथकड़ मदिरा थी। जाँचकर्ता अधिकारियों द्वारा एक से पाँच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी अनुसंधान पूर्ण नहीं किया।

(अनुच्छेद 6.8.4.5)

- आबकारी निरोधक स्टेशनों में अवैध मदिरा के संवेदनशील स्थानों एवं आदतन अपराधियों से सम्बन्धित सूचनायें राज्य पुलिस विभाग से बाँटने अथवा आदान-प्रदान करने का कोई तन्त्र स्थापित नहीं था।

(अनुच्छेद 6.8.4.6)

जयपुर व बीकानेर में स्थित केन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट (सी.एस.डी.), द्वारा वर्ष 2011-12 में अपने रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों को (जो केन्टीन की तरह चल रही थी) 67.98 लाख बल्क लीटर आई.एम.एफ.एल. (इण्डियन मेड फॉरेन लिकर) व 6.88 लाख बल्क लीटर बीयर का विक्रय किया। जबकि स्पेशल वेण्ड फीस

राशि ₹ 6.80 करोड़ आई.एम.एफ.एल. पर तथा ₹ 0.34 करोड़ बीयर पर केन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट द्वारा न तो जमा कराये गये ओर न ही सरकार द्वारा मांगे गये जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 7.14 करोड़ स्पेशल वेण्ड फीस की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 6.10.2)

अन्य राज्यों को बॉण्ड के अन्तर्गत पांच ब्रेवरीज द्वारा भेजी 1.32 लाख बल्क लीटर (16,233 कार्टन) बीयर जिसमें राशि ₹ 55.27 लाख का आबकारी शुल्क सन्निहित था। गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुँची। ना तो ब्रेवरीज द्वारा शुल्क अदा किया गया और ना ही विभाग द्वारा मांगा गया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 55.27 लाख राज्य आबकारी शुल्क की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 6.10.3)

VII. कर-इतर प्राप्तियाँ

खान एवं भू-विज्ञान और पेट्रोलियम विभाग

छः प्रकरणों में, अवैध रूप से उप-किराये पर दिये गये पट्टे के क्षेत्रों से अवैध रूप से उत्खनित व निर्गमित 1,25,679 मै.टन खनिज चुनाई पत्थर के ₹ 1.57 करोड़ की मांग न तो कायम की गई, न ही वसूली की गई।

(अनुच्छेद 7.7.1)

अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका/अधिशुल्क संग्रहण ठेका के अन्तिम रूप देने में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 3.47 करोड़ की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 7.7.3)

खनिज मार्बल के 49 बापी पट्टा प्रकरणों में अवैध रूप से उत्खनित खनिज मार्बल की ₹ 10.87 करोड़ की वसूली नहीं की गई। बापी पट्टाधारकों को विभाग द्वारा ना तो नियमित किया गया, ना ही निष्काषित किया गया।

(अनुच्छेद 7.7.5)

अल्पावधि अनुमति पत्र की प्राप्ति के बिना खनिज का उत्खनन अथवा अनुमत्य सीमा से अधिक मात्रा में उत्खनन के फलस्वरूप ₹ 6.70 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 7.7.10)

अवैध रूप से निकाले गये/निर्गमित खनिज की कीमत वसूली की बजाय एकल अधिशुल्क की वसूली के फलस्वरूप ₹ 66.08 करोड़ की राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 7.7.11)